समाहरणालय, खगड़िया

बिहार सरकार

ई-मेल :- dm-khagaria.bih@nic.in,
generalsectionkhagaria@gmail.com

वेबसाईट :- https://khagria.nic.in

दूरभाष :- 06244-222135

(जिला शस्त्र शाखा)

—: आदेश :—

रंजना देवी, पति–रामप्रकाश यादव, ग्राम+पो0–शेरगढ़, थाना–गोगरी, जिला–खगड़िया द्वारा सूचना दी गई है कि उनके पति रामप्रकाश यादव की मृत्यु हो चुकी है। मृतक के नाम से शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0–02/1997 (गोगरी थाना) पर धारित राईफल को जमा करने का अनुरोध किया गया है।

चूँकि अनुज्ञप्तिधारी रामप्रकाश यादव की मृत्यु हो गई है, अतः राईफल की अनुज्ञप्ति सं0–02/1997 (गोगरी थाना) को आयुध अधिनियम 2016 की धारा 47 (1) के आलोक में तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है एवं आवेदक रंजना देवी को आदेश दिया जाता है कि वे अपने पति स्व0 राम प्रकाश यादव के राईफल की अनुज्ञप्ति सं0–02/1997 (गोगरी थाना) पर धारित .315 बोर राईफल सं0–AB-96-7294 को गोगरी थाना के मालखाना में पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। शस्त्र जमा करने के उपरान्त शस्त्र जमा की प्राप्ति रसीद के साथ मूल अनुज्ञप्ति पुस्तिका अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना सुनिशिचित करें। तदोपरान्त प्रभारी शस्त्र दण्डाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्दीकरण के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

4/8/20

जिला दण्डाधिकारी
खगड़िया

ज्ञापांक IV-03/2020....477..../जी0, दिनांक 04.08.20/

प्रतिलिपि :– आवेदक रंजना देवी, पति–रामप्रकाश यादव, ग्राम+पो0–शेरगढ़, थाना–गोगरी, जिला–खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– थानाध्यक्ष, गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 प्रबंधक, खगड़िया को वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला दण्डाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

4/8/20

जिला दण्डाधिकारी,
खगड़िया